कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 189 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 20 फरवरी, 2016

सेवा में,

श्रीमती गीता तडियाल,
पत्नी श्री कुबेर सिंह,
ग्राम–सौनजाला, पो0–कोटबाग,
जिला–नैनीताल।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 1354 दिनांक 23 जनवरी, 2016 के साथ संलग्न अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 02 बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित 02 बिन्दुओं की सूचना पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17, 18 एवं धारा 31 तक की छायाप्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र चाही गयी सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 189 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की बिन्दु संख्या–01 एवं बिन्दु संख्या 02 पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

[1][परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में, "अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी ।]]

15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली---हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं --- (1) यदि कोई व्यक्ति---

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट [2]*** आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

[3][परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।]

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा----एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए [4]*** निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा---किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

[5][**19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**---इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो---

(क) अर्हता की तारीख को [6][अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ---[7][(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) अंतःस्थापित।
[2] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा "और अवैध" अंतःस्थापित शब्दों का 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया।
[3] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 12 द्वारा "उसी राज्य में" अंतःस्थापित शब्दों का 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया।
[5] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 7 द्वारा धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) वह रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर निर्वाचक नामावलिगों में की प्रविष्टियों की बाबत दावे और आक्षेप किए जा सकेंगे ;

[1]* * * * *

(ङ) वह रीति जिसमें दावों या आक्षेपों की सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी ;

(च) वह स्थान, तारीख और समय, जिसमें या जिस पर दावे या आक्षेप सुने जांएगे और वह रीति जिसमें दावे या आक्षेप सुने और निपटाए जाएंगे ;

(छ) निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन ;

[2][(ज) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण और शुद्धि तथा उसके अंदर नामों को सम्मिलित करना ;]

[3][(जज) धारा 22 के अधीन निर्वाचक नामावलियों में किसी प्रविष्टि का संशोधन करने, उसे अन्यत्र रखने या लोप करने के लिए तथ्यों के समुचित सत्यापन की प्रक्रिया ;

(जजज) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचक नामावलियों में नामों को सम्मिलित करने या काटने के लिए तथ्यों के समुचित सत्यापन की प्रक्रिया ;]

(झ) कोई भी ऐसी अन्य बात जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

[4][(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों संदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[5][**29. स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारिवृंद का उपलब्ध किया जाना**---राज्य में का हर स्थानीय प्राधिकारी राज्य के मुख्य निर्वाचक आफिसर द्वारा ऐसे अपेक्षित किए जाने पर किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को ऐसा कर्मचारिवृंद उपलब्ध करेगा जैसा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो ।]

30. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित---किसी भी सिविल न्यायालय को---

(क) कोई ऐसा प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है या नहीं ग्रहण करने या न्यायनिर्णीत करने की, अथवा

(ख) किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन की गई किसी कार्यवाही की या ऐसी किसी नामावली के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की,

अधिकारिता न होगी ।

[6][7][**31. मिथ्या घोषणाएं करना**---यदि कोई व्यक्ति---

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।]

32. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग---(1) यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या किसी प्रविष्टि को उस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे

---

[1] 1960 के अधिनियम सं0 20 की धारा 3 द्वारा खंड (घ) का लोप किया गया ।
[2] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 24 द्वारा खंड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2010 के अधिनियम सं0 36 की धारा 5 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।
[4] 1976 के अधिनियम सं0 88 की धारा 6 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 25 द्वारा धारा 29 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।
[7] 1960 के अधिनियम सं0 20 की धारा 4 द्वारा धारा 31 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

विशेष वाहक द्वारा

पत्रांक : 1431 / रा.नि.आ.-1/2030/2016

दिनांक 19/02/2016

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सुभाष रोड, उत्ततराखण्ड शासन,
देहरादून।

महोदय,

कृपया सुश्री गीता तडियाल पत्नी श्री कुवेर सिंह, ग्राम सौनजाला, पो0–कोटाबाग, जनपद–नैनीताल का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 10.02.2016 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 17.02.2016 को प्राप्त हुआ है, मूलरूप में **(रूपये–20.00 का पोस्टल आर्डर सहित)** संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी **02 बिन्दुओं** की सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र मूलरूप में ।

(रूपये–20.00 का पोस्टल आर्डर सहित)

(प्रभात कुमार सिंह) 19.2.16
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2030/2016 तद्दिनांक। (पंजीकृत डाक से)

प्रतिलिपि–सुश्री गीता तडियाल पत्नी श्री कुवेर सिंह, ग्राम सौनजाला, पो0–कोटाबाग, जनपद–नैनीताल।

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

1371
17-02-16

(2030)

सेवा में, लोक सूचना अधिकारी महोदय, दिनांक 10-02-2016
राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून

विषय - सूचना का अधिकार अन्तर्गत सूचना चाहने बावत ,

महोदय, इस प्रकार है, कि वर्तमान मे उत्तराखण्ड राज्य मे रह रहे कई ऐसे युवक है, जिनके पास उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश दो-दो राज्यों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र / मूल निवास प्रमाण है, तथा साथ ही दो-दो राज्यो के भारत निर्वाचन आयोग के फोटो पहचान पत्र भी है, जो कि गलत है। इसँसे ये लोग दोनो राज्यों में नौकरी कर रहे है, जिससे हमारे राज्य उत्तराखण्ड में बेरोजगारी आ रही है। जिससे उत्तराखण्ड राज्य के युवक नोकरी से भी वंचित हो जा रहे है,

Received vide 2497332829 ... /2

अतः मुझे निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना देने का कष्ट करें,

① दो-दो राज्यो के पहचान पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र / मूल निवास प्रमाण पत्र होने पर क्या कार्यवाही की जाती है, (पूरा विवरण दें)

② दो-दो राज्यो के पहचान पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र / मूल निवास प्रमाण पत्र पाये जाने पर क्या प्रावधान का कानूनी कार्यवाही है,

महोदय मुझे उपरोक्त दो बिन्दुओ पर सूचना शीघ्र देने की कृपा करें।

दिनांक 10-02-2016

भवदीया
Geeta
गीता तड़ियाल W/O कुबेर सिंह
ग्राम-सौनजाला, पो०-कोटाबाग
जिला-नैनीताल, पिन-263159

SO-1/APIO

श्री नयाल/जोशी
12.2.16
17/2/16 SO

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।